न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/446

मंदिर मूर्ति श्री झुझार जी महाराज ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जरिये पुराजी मनोज कुमार आयु 38 आत्मज श्री प्रभूलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ठीकरदा हाल निवासी कागदी देवरा तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मंजूदेवी पत्नी श्रवण कुमार जाति प्रजापत निवासी इन्द्रा कॉलोनी पुराना मांटून्दा रोड तहसील व जिला बून्दी ।
2. श्रवण कुमार आत्मज नामालूम जाति प्रजापत निवासी इन्द्रा कॉलोनी पुराना माटून्दा रोड तहसील व जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री योगेश यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि मूर्ति मंदिर श्री जुझार जी महाराज का मंदिर ग्राम ठीकरदा में स्थित है । उक्त मंदिर तिवाडी ब्राह्मण समाज बून्दी द्वारा निर्मित करवाया हुआ हे जिसकी सेवा पूजा के लिए समाज द्वारा मनोज कुमार आत्मज प्रभूलाल को पुजारी नियुक्त किया हुआ है । मनोज कुमार के साथ—साथ गणेश भी उक्त मंदिर की सेवा पूजा करता है । उक्त मंदिर आराजी खसरा नम्बर 2534 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर बना हुआ है इसी भूमि पर बालाजी का मंदिर भी बना हुआ है तथा बड का पेड भी उगा हुआ है शेष भूमि पर चबूतरा एवं बाडा बना हुआ है । खाली जमीन पर जुझार जी महाराज की ओर से कृषि की व्यवस्था की जाती है जिसकी आय से जुझार जी महाराज की तेल, भोग सेवा की व्यवस्था की जाती है । प्रतिवादी मंजू देवी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 2533 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2536 रकबा 04

बीघा 01 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 2537 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा भूमि जुझार जी महाराज की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2534 के समीप पीछे की ओर स्थित है । प्रतिवादीगण को वादी मूर्ति मंदिर श्री जुझार जी महाराज की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2534 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं मंदिर से ही कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनका उक्त भूमि एवं मंदिर में कोई अधिकार है । प्रतिवादीगण उक्त मंदिर की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं । प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से नीवे खोदकर वाउन्ड्री वाल बनाने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी की भूमि खसरा नम्बर 2534 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा पर जबरन कब्जा नहीं करें किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, पुजारी को बेदखल नहीं करें, पुजारी को सेवा पूजा व्यवस्था एवं नियंत्रण में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाये उक्त कार्य न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी के जवाब हेतु चल रही थी उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया बिना जवाब लिये बिना तनकीयात कायम किये पक्षकारान की साक्ष्य लिये बिना ही लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की कोई सूचना नहीं और उन्हें कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2534 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली में स्थित है । उक्त भूमि पर मूर्ति मंदिर श्री जुझार जी महाराज का मंदिर तथा इसी भूमि पर बालाजी का मंदिर व एक बड का पेड उगा है जो लगभग 01 बीघा भूमि पर बने हैं तथा शेष भूमि उक्त मंदिर के कब्जे में है जिसमें चबूतरा बना हुआ है और खाली भूमि पर मंदिर की ओर से कृषि की व्यवस्था की जाती है । जिसकी आय से मंदिर के तेल भोग की सेवा की व्यवस्था होती है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है वह जबरन मंदिर की भूमि पर कब्जा करने के लिए आमादा हो रहे हैं । इस कारण उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को सूचना दिये बिना लोक अदालत में दावा खारिज किया है । पत्रावली जवाब में लम्बित थी बिना जवाब दिये बिना तनकी कायम किये एवं बिना साक्ष्य लिये निर्णय पारित किया गया है । मूर्ति की हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायालय की होती है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक है जिसके लिए अपीलान्ट को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है । कब्जा भी अपीलान्ट का नहीं है । उन्होंने पुजारी नियुक्त किये जाने का भी कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया है । आराजी मंदिर की भूमि है और अपीलान्ट को उस मंदिर का पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है । यदि अपीलान्ट पुजारी का अधिकार चाहता है तो उन्हें सिविल न्यायालय में वाद करना चाहिए था। दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है और न ही अपील मेन्टेनेबल है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट के द्वारा एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया गया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2534 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि मुताबिक खसरा गिरदावरी सिवायचक बिला लगानी दर्ज है । स्थायी निषेधाज्ञा का दावा खातेदार कृषक के द्वारा ही लाया जा सकता है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है । वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक नहीं है । ऐसी स्थिति में उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है तद्नुसार दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है । दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उसे विधि सम्मत रूप से खारिज किया है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 12.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/446

मंदिर मूर्ति श्री झुझार जी महाराज ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जरिये पुराजी मनोज कुमार आयु 38 आत्मज श्री प्रभूलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ठीकरदा हाल निवासी कागदी देवरा तहसील व जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती मंजूदेवी पत्नी श्रवण कुमार जाति प्रजापत निवासी इन्द्रा कॉलोनी पुराना मांटून्दा रोड तहसील व जिला बून्दी ।
2. श्रवण कुमार आत्मज नामालूम जाति प्रजापत निवासी इन्द्रा कॉलोनी पुराना माटून्दा रोड तहसील व जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्या: 162/दावा/2014

मंदिर मूर्ति श्री झुझार जी महाराज ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जरिये पुराजी मनोज कुमार आयु 38 आत्मज श्री प्रभूलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ठीकरदा हाल निवासी कागदी देवरा तहसील व जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. श्रीमती मंजूदेवी पत्नी श्रवण कुमार जाति प्रजापत निवासी इन्द्रा कॉलोनी पुराना मांटून्दा रोड तहसील व जिला बून्दी ।
2. श्रवण कुमार आत्मज नामालूम जाति प्रजापत निवासी इन्द्रा कॉलोनी पुराना माटून्दा रोड तहसील व जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 12.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री विनय सक्सेना एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री योगेश यादव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 12.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा